मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

//कार्यवाही विवरण//

भोपाल, दिनांक 20/06/2019

क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओए नंबर 673/2018 में दिनांक 20.09.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश की 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरूद्धार हेतु एक्शन प्लान तैयार किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5 दिनांक 01 नवम्बर, 2018 के माध्यम से गठित नदी पुनरूद्धार समिति (आरआरसी) की चतुर्थ बैठक प्रदूषित नदी प्राथमिकता 1 एवं 2 की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 14/06/2019 को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सभागार में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग व अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री पंकज अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्न सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुयेः-

1. श्री सुरेश सेजकर, अधीक्षण यंत्री, प्रतिनिधि आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
2. श्रीमती सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग।
3. श्री आर. एस. कोरी, डायरेक्टर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
4. श्री पी. के. त्रिवेदी, डायरेक्टर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन।
5. श्री पी. एस. बुन्देला, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
6. सुश्री लता उदसैया, वैज्ञानिक-बी, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल के प्रतिनिधि ।
7. श्री एन0 के0 परिहार, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
8. श्री के. पी. सोनी, कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर
9. श्री एस0 के0 कुरील एवं श्री सुनील गुप्ता, अभियंता, नगर निगम, इन्दौर।

बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों की सूची संलग्न है। **(संलग्न-1)**। बैठक के प्रारम्भ में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीक्षण यंत्री, श्री एच. एस. मालवीय द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 20.09.2018, 19/12/2018 एवं 08/04/2019 के संबंध में समिति सदस्यों को अवगत कराया गया तथा बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा योजनावार कार्ययोजनाओं का प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किया गया। समिति द्वारा कार्ययोजनाओं पर माननीय राष्ट्रीय अधिकरण के आदेश के सापेक्ष चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :

खान नदी, इन्दौर :

1. वर्तमान में इन्दौर शहर से उत्पन्न 350 एमएलडी सीवेज में से 210 एमएलडी सीवेज उपचारित हो रहा है। **नगर निगम, इन्दौर,** शेष 140 एमएलडी सीवेज को दिसम्बर 2019 तक प्राईमरी सीवेज लाईन से जोड़कर उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. **नगर निगम, इन्दौर** द्वारा वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल संयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र तक आंशिक रूप से पाईपलाईन एवं नाले के माध्यम से एकत्रित किया जा रहा है जिसे सितम्बर 2019 तक पाईपलाईन के माध्यम से एकत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

3. **नगर निगम, इन्दौर** सीईटीपी में शून्य निस्त्राव योजना में विविभन्न स्तर- (अ) पारम्परिक उपचार, (ब) आरओ से उपचार, (स) एमईई व ड्रायर से उपचार उपरान्त आर्थिक लागत का विश्लेषण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
4. **नगर निगम, इन्दौर** के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि योजना में फेस-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित 06 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जून-2022 तक स्थापित किये जावेगें।
5. **क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, प्रदूषित नदी स्ट्रैच में निर्धारित सभी भू-जल गुणवत्ता मापन बिन्दुओं पर पुनः 15 दिवस के भीतर कर प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
6. **मध्यप्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश** द्वारा इन्दौर शहर का विकास प्लान अधिसूचित किया गया है जिसमें फ्लड प्लेन जोन अंकित हैं तद्‌नुसार अतिकमण निरोधी व वृक्षारोपण क्षेत्र सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही की जावे व आगामी बैठक में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।
7. **नगर निगम, इन्दौर** द्वारा रू. 1.3 करोड़ की वृक्षारोपण योजना वन विभाग के माध्यम से 3 वर्ष संधारण सहित लागू किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें योजना को सक्षम रूप से लागू करने हेतु फैन्सिंग सहित संधारण अवधि 7 वर्ष की जावे।
8. **नगर निगम, इन्दौर** खान नदी में ई-फ्लो हेतु, नदी के अपस्ट्रीम में स्थित तालाबों का सुदृढ़ीकरण करेगा।

चम्बल नदी, नागदा :

1. **क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन** माह जून 2019 के अंत में नागदा स्थित उद्योगों से शून्य निस्त्राव योजना लागू करने की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करेगें।
2. **नगरीय विकास विभाग,** नगरपालिका, नागदा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करवायी जावे ताकि माह अगस्त 2019 तक प्रशासकीय स्वीकृति, टेंडर आदि की कार्यवाही हो सके एवं योजना राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो सके।
3. **क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, उज्जैन प्रदूषित नदी स्ट्रैच में निर्धारित सभी भू-जल गुणवत्ता मापन बिन्दुओं पर पुनः 15 दिवस के भीतर कर प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ।
4. मध्यप्रदेश नगर एवं निवेश विभाग द्वारा नागदा शहर का विकास प्लान अधिसूचित किया गया है जिसमें फ्लड प्लेन जोन अंकित हैं तद्‌नुसार **नगरपालिका, नागदा** अतिकमण निरोधी व वृक्षारोपण क्षेत्र सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही की जावे व आगामी बैठक में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।
5. **नगरपालिका, नागदा** द्वारा शहर एवं फ्लड प्लेन जोन में 10,000 वृक्षों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना को भारत सरकार ग्रीन इंडिया मिशन के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।
6. **जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन**, चम्बल नदी, नागदा में ई-फ्लो रखे जाने हेतु संभावित योजना प्रस्तुत करेंगे।

क्षिप्रा नदी, उज्जैन :

1. **क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन, शहर में भैरूगढ़ क्षेत्र स्थित** उद्योगों से निस्त्रारित दूषित जल के उपचार की योजना आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगें।
2. **नगर निगम, उज्जैन** द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके तहत 50 प्रतिशत तक किया जा चुका है। कार्य दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किया जावे ।

3. **क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, उज्जैन प्रदूषित नदी स्ट्रैच में निर्धारित सभी भू-जल गुणवत्ता मापन बिन्दुओं पर पुनः 15 दिवस के भीतर कर प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ।
4. मध्यप्रदेश नगर एवं निवेश विभाग द्वारा उज्जैन शहर का विकास प्लान अधिसूचित किया गया है जिसमें फ्लड प्लेन जोन अंकित हैं तद्‌नुसार **नगरपालिक निगम, उज्जैन** अतिक्रमण निरोधी व वृक्षारोपण क्षेत्र सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही की जावे व आगामी बैठक में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।
5. नगर निगम, उज्जैन द्वारा वन विभाग के माध्यम से रू. 50 करोड़ की वृक्षारोपण योजना लागू की जा रही है। योजना को भारत सरकार ग्रीन इंडिया मिशन के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भी प्रेषित किया जावे।
6. क्षिप्रा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा-नर्मदा लिंक योजना अंतर्गत ई-फ्लो संधारित किया जावे।

बेतवा नदी, मण्डीदीप, भोपाल :

क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल प्रदूषित स्ट्रैच के अन्तर्गत औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण संबंधी इन्वेन्ट्री एवं सीईटीपी की योजना कार्ययोजना में निर्धारित समयावधि की रिपोर्ट माह के अन्त प्रस्तुत करें।

1. **क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, भोपाल प्रदूषित नदी स्ट्रैच (मण्डीदीप से विदिशा तक) में निर्धारित सभी भू-जल गुणवत्ता मापन बिन्दुओं पर पुनः 15 दिवस के भीतर कर प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ।
2. **नगरीय विकास विभाग**, नगरपालिका, मण्डीदीप के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करवायी जावे ताकि माह अगस्त 2019 तक प्रशासकीय स्वीकृति, टेंडर आदि की कार्यवाही हो सके एवं योजना राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो सके।
3. मध्यप्रदेश नगर एवं निवेश विभाग द्वारा मण्डीदीप, विदिशा एवं भोपाल शहर का विकास प्लान अधिसूचित किया गया है जिसमें फ्लड प्लेन जोन अंकित हैं तद्‌नुसार **नगरपालिका मण्डीदीप, नगरपालिका विदिशा एवं नगर निगम भोपाल** (कलियासोत नदी के किनारे) अतिक्रमण निरोधी व वृक्षारोपण क्षेत्र सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही की जावे व आगामी बैठक में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।
4. **जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन** बेतवा (मण्डीदीप से विदिशा) व कलियासोत (कोलार रोड से मण्डीदीप) में ई-फ्लो हेतु संभावित योजना आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

अन्य निर्णय :

1. नदी पुनरोद्धार योजनाओं के अन्तर्गत भू-जल स्तर उन्नयन हेतु रैन वॉटर हार्वेस्टिंग व ग्राऊण्ड वाटर रिचार्ज भी किया जाना है इस संबंध में **इन्दौर नगर निगम** द्वारा अपनाई गई सम्पत्ति कर में छूट संबधी प्रोत्साहन योजना का विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. आगामी बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, वन विभाग एवं औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जावे।
3. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आगामी बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रगति प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगें तथा योजना से संबंधित अन्य विभाग के मैदानी अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेगें ।

4. आगामी बैठक में योजनाओं को लागू करने की प्रगति के पर्टचार्ट भी प्रस्तुत किये जावे।
बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार ।

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
भोपाल, दिनांक 20/06/2019

पृ.क्रं. एफ 12-83/2018/18-5
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल
4. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल।
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
6. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
7. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
8. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल/उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
9. श्री पी.के. जैन, संचालक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
10. डॉ0 बी0 के0 बहेरा, क्षेत्रीय डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहकार भवन, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल।
11. श्री एन0 के0 परिहार, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग, नर्मदा भवन, भोपाल।
12. श्री ए0 के0 एस सेंगर, कार्यपालन यंत्री, एमपीआईडीसी, एम.पी. नगर, भोपाल।
13. प्रभारी अधिकारी, श्री एच.एस. मालवीय, अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. कलेक्टर, जिला इन्दौर, भोपाल, रायसेन, उज्जैन, विदिशा की ओर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20.09.2018, 19.12.2018 एवं 08.04.2019 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इंदौर, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
16. नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, मण्डीदीप/विदिशा/नागदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
17. विधि अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

Attendance Sheet

Meeting of Polluted River stretches

Date: - 14/06/2019

S.N	Name of officer & designation	Name of organization	Cell No/e- mail address	Signatures
1.	Supriya Pendke under secretary	म.प्र. शासन	9826836531	[signature] 14/6/19
2	S.K. Kuril	नगरपालिक निगम इंदौर	9425088530 sestp.indore@gmail.com	[signature]
3	Sunil Gupta	IMC	7440443347 Indore.Nagarnigam@gmail.com	[signature]
4.	Lata Udsaiya Sc. 'B'	CGWB, NCR Bhopal	8433275478 rdncr-cgwb@nic.in	[signature]
5.	Tej Singh Assitt. Chemist	CGWB, NCR Bhopal	9630400172 tejsingh2000@rediffmail.com	[signature]
6.	P.K. TRIVEDI	RO MPPCB Ujjain	78984-91421	[signature]
7.	Dr P.S. Bundela	RO MPPCB BPL	9407001217	[signature]
8.	K. P. Soni	E.E., MPPCB Indore	94251-35095	[signature]
9.	Dr. D.K. WAGELA	C.C. & Lab. Head MPPCB Indore	9827233136	[signature]

Attendance Sheet

Meeting of Polluted River stretches

Date: - 14/06/2019

S.N	Name of officer & designation	Name of organization	Cell No/e- mail address	Signatures
10.	Suresh Sejkar	Directorate UADD	9425168717	[signature]
11.	N.K. Parihar	WRD	9425710743 seifcenc@gmail.com	[signature]
12	R S KORI	MPPCB	9669508846	[signature]
13	G. Ambullar C.C.	MPPCB.	9827249088	[signature]
14	H.S. Malviya SEM	MPPCB	9425017278	[signature]